



2026:AHC:128665

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19900 वर्ष 2026

अजय कुमार उर्फ पप्पू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: रविंद्र प्रकाश श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए. (राज्य अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह तत्कालिक जमानत आवेदन थाना- सिद्धार्थ नगर, जिला सिद्धार्थ नगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 59/2026, धारा 64(1), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता एक बालिग महिला है और तीन बच्चों की मां है। उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है और आरोप लगाया गया है कि आवेदक द्वारा एक खेत में शारीरिक हमला किया गया था, हालांकि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। डॉक्टर के समक्ष दिए गए बयान में, उसने कहा कि उसे कुछ बच्चों ने देख लिया था, जिन्होंने शोर मचाया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता एक सहमति देने वाली पक्षकार थी और जब उसे कुछ बच्चों ने देख लिया तथा मामला ग्रामीणों के संज्ञान में आया, तो पीड़िता ने दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा दिए। मेडिकल रिपोर्ट मौखिक बयान से मेल नहीं खाती है। पीड़िता के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी। विवेचना के दौरान जांच अधिकारी द्वारा कोई फटे हुए कपड़े बरामद नहीं किए गए हैं। आवेदक किसी घातक हथियार से लैस नहीं था और विरोध करने पर पीड़िता के शरीर पर कुछ चोटें आनी चाहिए थीं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि आवेदक दिनांक 12.03.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
5. मैंने पक्षों के परस्पर तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत पाने का आधार प्रस्तुत किया है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक- **अजय कुमार उर्फ पप्पू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय की गई तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी. / 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।
 - (iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सी.आर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आई.पी.सी. / 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामला खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी. / 351 बी.एन.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”